PP - SDM- 19

Form No-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...लत .... मुकाम उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर

चेतराम .... बनाम मनफूल वगैरा

...दमा 88-188-209 RTA .... नम्बर 39 सन् 2018

...म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स्स जज	नम्बर व तारीख अहम जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये।
../18	आज यह वादपत्र वादी द्वारा मार्फत वकील श्री प्रेम गुप्ता द्वारा पेश किया गया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13/12/18 को पेश हो। Priyanka	
12/18	पत्रावली पेश। प्रतिवादी सं० 1 व 2 की ओर से श्री [illegible] वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया जो पत्रावली के संलग्न हो बाद समय [illegible] स्थगित रखा हो। पत्रावली दिनांक 03/01/2019 को पेश हो। Priyanka	—
3/01/19	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उप०। प्रतिवादी सं० 1 व 2 के वकील द्वारा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया है जो दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 17/01/19 को पेश हो। Priyanka	
../19	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व में जवाब पेश हेतु समय चाहा गया है [illegible] अन्तिम अवसर दिया जो [illegible] पत्रावली दि० 24/01/2019 को पेश हो। दिया जाता है। Priyanka	—

Scanned by CamScanner

हुकम या कार्यावाही मय इतिशियंल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए।
25/4/19 पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज पेश करने हेतु समय चाहा गया है। आयन्दा में समय दिया जाता है पत्रावली दिनांक 16/5/2019 को पेश हो। Priyanka	
16/05/2019 पत्रावली पेश। वादी स्वयं उपस्थित। वादी ने एक निवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हम वादी एवं प्रतिवादी का आपसी राजीनामा हो चुका है इसलिए अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए वाद पत्र को विड्रा करना चाहता है। प्रार्थना पत्रावली पर संलग्न है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी / प्रार्थी के निवेदन पर वाद पत्र को इसी स्टेज पर विड्रा करने की अनुमति वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए दी जाती है। वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली बैलेंस्युमसर होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। Priyanka उप जिला कलेक्टर श्री विजयनगर	पेशकार

वादपत्र

न्यायालय सहायक जिलाधीश एवम्

उपखण्ड अधिकारी विजयनगर

चेतराम पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान । (वादी)

बनाम

1. श्री मनफूल पुत्र श्री धन्नाराम जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मनफूल जाति जाट निवासी रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
3. श्री तहसीलदार राजस्व तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर
4. श्री उपंपजीयक राजस्व तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

....................(प्रतिवादीगण)

वादपत्र घोषणात्मक एंव विभाजन तथा शाश्वंत्

चिर निषेधाज्ञा सम्बन्धी डिक्री प्राप्ति हेतु

<u>अन्तर्गत धारा 88–188–209 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

श्रीमानजी,

वादी का वादपत्र निम्न तथ्यो पर आधारित है :–

1. यह कि वादी एंव प्रतिवादी 1 व 2 पिता पुत्र एव भाई है। स्थाई रूप से ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ में निवास करते है। वादी एंव प्रतिवादीगण 1 ता 4 का स्थाई पता शीर्षक में अंकित है।
2. यह कि प्रतिवादी नं0 1 श्री मनफूल, वादी एंव प्रतिवादी नं0 2 का पिता है जो स्वार्थी एंव सन्तान के प्रति भेदभाव रखने वाला व्यक्ति है। वादी, प्रतिवादी नं0 1 श्री मनफूल (पिता) के व्यवहार से पीडित, व्यथित होकर वाद प्रस्तुत करने हेतु लाचार एंव असहाय है।
3. यह कि प्रतिवादी नं0 1 श्री मनफूल के नाम राजस्व रिकार्ड में राजस्व तहसील श्रीविजयनगर के श्रेत्राधिकार में स्थित चक नं0 21 एसडी (बी) खाता संख्या 103/43 प0न0 140/422 कि0न0 20–21–22/2 में 0.708 है0 अर्थात 2 बीघा 16 बिस्वा, प0न0 141/422 में कि0न0 14 से 17 तक, 24/2,25/2 = 1.467 है0 अर्थात 5 बीघा 16 बिस्वा मय खाला, प0न0 141/423 कि0न0 4 से 6 तक, 15–16/1, 24–25 = 1.645 है0 अर्थात 6 बीघा 10 बिस्वा मय खाला, प0न0 140/423 कि0न0 2–9–20 से 25 = 2.024 अर्थात 8 बीघा कुल 5.844 है0 अर्थात 23 बीघा 02 बिस्वा खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ प्रस्तुत है। जो वादी के वादपत्र की आधारशीला है एंव वाद का एक भाग है।
4. यह कि उक्त 23 बीघा 02 बिस्वा अर्थात 5.844 है0 भूमि में से 13 बीघा अर्थात 3.289 है0 भूमि वादी के दादा स्व0 श्री धन्नाराम द्वारा प्रतिवादी नं0 1 श्री मनफूल (पिता) के नाम खरीद की गई थी । उक्त खरीद खसरो में रघुनाथुपरा बारानी में स्थित खरीद की गई थी जो बाद में चकबन्दी में पैमूद कर दी गई।

.... लगातार 2 पर

चेतराम

Scanned by CamScanner